

भारत सरकार  
शिक्षा मंत्रालय  
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग  
लोक सभा  
तारांकित प्रश्न संख्या- 19  
उत्तर देने की तारीख-25/11/2024

विद्यालयों में वास्तविक बुनियादी ढांचे का उन्नयन

\*19. श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश भर में विद्यालयों के वास्तविक बुनियादी ढांचे की स्थिति के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;
- (ख) यदि हाँ, तो ऐसे विद्यालयों की कुल संख्या कितनी है जिनका सर्वेक्षण किया गया और उचित कक्षाओं, बोर्ड, टेबल, पीने योग्य पानी और स्वच्छता की स्थिति वाले विद्यालयों का व्यौरा क्या है;
- (ग) विशेष रूप से आंध्र प्रदेश और बापटला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में छात्राओं के लिए अलग और स्वच्छ शौचालय वाले विद्यालयों का राज्य-वार व्यौरा क्या है;
- (घ) विशेष रूप से आंध्र प्रदेश और बापटला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दिव्यांग-अनुकूल रैंप जैसे बुनियादी ढांचे वाले विद्यालयों का राज्य-वार व्यौरा क्या है; और
- (ड) सरकार द्वारा विद्यालयों के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और पिछले पांच वर्षों के दौरान देश भर में विद्यालयों का उन्नयन करने के लिए राज्य-वार, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश और बापटला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आवंटित और उपयोग की गई धनराशि कितनी-कितनी है?

उत्तर  
शिक्षा मंत्री  
(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क) से (ड.): विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

‘विद्यालयों में वास्तविक बुनियादी ढांचे का उन्नयन’ के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी द्वारा पूछे गए दिनांक 25.11.2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 19 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के रूप में “शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (यूडाइज+)” का अनुरक्षण करता है, जो सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के स्कूलों के बुनियादी ढांचे सहित विभिन्न शैक्षिक संकेतकों पर सभी स्कूलों (सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी) से प्रति वर्ष जानकारी एकत्र करता है। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के स्कूलों में विभिन्न शैक्षिक संकेतकों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार व्यौरा <https://dashboard.udiseplus.gov.in/#/home> पर उपलब्ध है। कक्षाओं, बोर्डों, टेबलों, पेयजल और स्वच्छता स्थितियों वाले स्कूलों का व्यौरा अनुलग्नक-I में है।

(ग): बालिकाओं के लिए अलग शौचालय वाले स्कूलों का राज्यवार व्यौरा अनुलग्नक-I में है तथा आंध्र प्रदेश और बापटला निर्वाचन क्षेत्र का व्यौरा नीचे दिए अनुसार है:

गतिविधियाँ	आंध्र प्रदेश		बापटला निर्वाचन क्षेत्र	
	स्कूलों की संख्या	उपलब्धता	स्कूलों की संख्या	उपलब्धता
बालिकाओं के लिए अलग शौचालय	44499	42449	1566	1521

स्रोत : आं. प्र. सरकार

(घ): ऐम्प्स जैसे सीडब्ल्यूएसएन अनुकूल बुनियादी ढांचे वाले स्कूलों का राज्य-वार व्यौरा अनुलग्नक-II में है और आंध्र प्रदेश और बापटला का व्यौरा नीचे दिए अनुसार है:

गतिविधियाँ	आंध्र प्रदेश		बापटला निर्वाचन क्षेत्र	
	स्कूलों की संख्या	उपलब्धता	स्कूलों की संख्या	उपलब्धता
ईप	44499	26919	1566	965

स्रोत : आं. प्र. सरकार

(ड): समग्र शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण, लड़कियों और लड़कों के लिए बहते पानी की सुविधा के साथ शौचालय, चारदीवारी, प्रमुख मरम्मत, आरओ संयंत्र के साथ पेयजल, स्कूलों में पैटिंग, फर्नीचर की आपूर्ति, डिजिटल शिक्षा के लिए ग्रीन चॉक बोर्ड और आईएफबी पैनल आदि जैसे घटकों को भी शामिल किया जा रहा है।

पिछले पांच वर्षों (वर्ष 2019-20 से 2023-24) के दौरान स्कूलों में बुनियादी ढांचा सुविधाएं प्रदान करने के लिए आवंटित और उपयोग की गई धनराशि अनुलग्नक-III में है और आंध्र प्रदेश और बापटला निर्वाचन क्षेत्र का व्यौरा नीचे दिए अनुसार है:

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	बजट	आंध्र प्रदेश राज्य	बापटला निर्वाचन क्षेत्र
1	अनुमोदित बजट	619.10	11.93
2	उपयोग किया गया बजट	202.82	1.97

स्रोत : आं. प्र. सरकार

उपरोक्त के अलावा, समग्र शिक्षा के तहत 1,93,000 सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे के कायाकल्प के लिए जनवरी, 2023 में 2867.98 करोड़ रुपये के केंद्रीय हिस्से सहित 4590.45 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन को अनुमादित किया गया। इसमें 70.74 करोड़ रुपये के केंद्रीय हिस्से सहित 117.90 करोड़ रुपये की राशि से आंध्र प्रदेश के 5000 स्कूलों का कायाकल्प शामिल है।

\*\*\*\*\*

‘विद्यालयों में वास्तविक बुनियादी ढांचे का उन्नयन’ के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री कृष्ण प्रसाद टेन्जेटी द्वारा पूछे गए दिनांक 25.11.2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 19 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

आंध्र प्रदेश सहित स्कूलों में बालकों और बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय, हाथ धोने की सुविधा, पेयजल, रैप, फर्नीचर, कक्षाएं और डिजिटल बोर्ड सहित बुनियादी ढांचागत सुविधाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार व्यौरा।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल सरकारी स्कूल	सुविधाओं से युक्त सरकारी स्कूल - 2021-22(संख्या)							
		बालकों के शौचालय	बालिका ओं के शौचालय	हाथ धोने की सुविधाएं	पेय जल	रैप	फर्नीचर	कक्षाएं	डिजिट ल बोर्ड
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	342	340	342	342	342	238	334	2735	165
आंध्र प्रदेश	45137	36821	43254	44286	45107	27232	45137	165051	1289
अरुणाचल प्रदेश	2985	2712	2681	1067	2353	776	2551	16175	48
असम	45490	41824	43636	44063	44266	40760	42830	165790	868
बिहार	75558	72787	74064	64329	75355	59611	39141	461720	184
चंडीगढ़	123	123	123	123	123	119	121	3595	16
छत्तीसगढ़	48743	46811	47549	47756	48731	43137	21956	181132	624
दमन और दीव और दादर और नागर हवेली	388	384	385	388	388	386	388	2480	27
दिल्ली	2762	1999	1913	2762	2762	2762	2762	59609	656
गोवा	814	814	814	814	814	722	814	2659	8
गुजरात	34699	33219	33516	34037	34687	33490	30447	200934	3754
हरियाणा	14562	13054	13655	14474	14508	12354	12995	88824	3024
हिमाचल प्रदेश	15380	15078	15200	15273	15376	13402	13921	62890	1052
जम्मू और कश्मीर	23173	19384	20012	22190	22439	10238	13033	93310	1404
झारखण्ड	35840	34761	35406	32693	35144	26482	34212	184030	508
कर्नाटक	49679	46215	48319	43556	49477	41290	38354	250775	914
केरल	5010	4887	4941	4947	4989	4558	5007	63288	608
लद्दाख	838	795	775	496	834	725	736	4020	82
लक्ष्मीपुर	38	38	38	38	38	36	38	504	13
एमपी	92695	88142	89738	85451	91264	79711	20323	382227	467
महाराष्ट्र	65639	61135	62615	64269	65091	63278	59448	269356	2662
मणिपुर	2889	2495	2469	2338	2865	1933	2713	14373	19
मेघालय	7783	7156	6687	2929	3908	3465	7707	23182	33
मिजोरम	2563	2404	2356	1988	2296	1543	2547	10295	9

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल सरकारी स्कूल	सुविधाओं से युक्त सरकारी स्कूल - 2021-22(संख्या)							
		बालकों के शौचालय	बालिका ओं के शौचालय	हाथ धोने की सुविधाएं	पेय जल	रैंप	फर्नीचर	कक्षाएं	डिजिट ल बोर्ड
नागालैंड	1960	1743	1727	1058	1178	911	1959	13708	17
उड़ीसा	49072	46388	47436	47679	48520	42392	17804	193312	1585
पुदुचेरी	422	395	401	419	422	387	422	3638	67
पंजाब	19259	18604	18964	19249	19257	18048	19138	101434	712
राजस्थान	68948	63524	67160	66400	66957	51103	27238	354220	1889
सिक्किम	864	855	780	836	858	317	858	7357	147
तमिलनाडु	37636	37020	37284	37636	37636	33691	37038	238691	1456
तेलंगाना	30023	22043	26066	26155	28164	23777	8914	129289	257
त्रिपुरा	4262	3879	3845	3619	3523	2887	3870	25266	88
उत्तर प्रदेश	137024	132449	134493	15835	135867	115655	57345	698375	742
उत्तराखण्ड	16484	15292	15480	131277	15858	12339	14970	55017	304
पश्चिम बंगाल	83302	80676	82432	81759	83000	70307	73339	459100	1049
<b>कुल</b>	<b>1022386</b>	<b>956246</b>	<b>986556</b>	<b>962531</b>	<b>1004397</b>	<b>840062</b>	<b>660410</b>	<b>4988361</b>	<b>23304</b>

स्रोत : यूडाइज़ + 2021-22

\* बालकों के शौचालय की गणना केवल सह-शिक्षा और लड़कों के स्कूलों के आधार पर की गई है

\* बालिकाओं के शौचालय की गणना केवल सह-शिक्षा और लड़कियों के स्कूलों के आधार पर की गई है

विद्यालयों में वास्तविक बुनियादी ढांचे का उन्नयन' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री कृष्ण प्रसाद टेनेटी द्वारा पूछे गए दिनांक 25.11.2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 19 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

सीडब्ल्यूएसएन शौचालय और रेलिंग के साथ रैप जैसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्कूल वाले दिव्यांगों के अनुकूल बुनियादी ढांचे

भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22		
	सीडब्ल्यूएसएन शौचालय	रैप	रेलिंग के साथ रैप
अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	96	261	147
आंध्र प्रदेश	12336	33306	22251
अरुणाचल प्रदेश	376	884	637
असम	11094	42188	37468
बिहार	13433	66179	34949
चंडीगढ़	171	204	126
छत्तीसगढ़	41249	47177	34411
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	394	427	403
दिल्ली	5619	5619	5619
गोवा	102	917	831
गुजरात	18812	44126	31935
हरियाणा	10386	17236	10881
हिमाचल प्रदेश	4238	13987	11807
जम्मू एवं कश्मीर	1236	11334	4280
झारखण्ड	2330	28803	16630
कर्नाटक	13027	53834	44735
केरल	4149	12675	9895
लद्दाख	235	770	306
लक्षद्वीप	23	36	29
मध्य प्रदेश	12856	100824	47933
महाराष्ट्र	57747	101637	86420
मणिपुर	377	2291	1681
मेघालय	382	4436	3099
मिजोरम	690	1732	742
नागालैंड	148	1029	446
उडीसा	34134	50128	43285
पुदुचेरी	280	481	426
पंजाब	22039	24849	23574
राजस्थान	21097	69459	44080
सिक्किम	189	366	254
तमिलनाडु	17579	43520	24163
तेलंगाना	2405	32393	13761
त्रिपुरा	433	3105	1739

भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22		
	सीडब्ल्यूएसएन शौचालय	रॅप	रेलिंग के साथ रॅप
उत्तर प्रदेश	61861	166323	121938
उत्तराखण्ड	1572	14072	9210
पश्चिम बंगाल	28392	73187	50304
<b>कुल</b>	<b>401487</b>	<b>1069795</b>	<b>740395</b>

स्रोत : यूडाइज़ + 2021-22

विद्यालयों में वास्तविक बुनियादी ढांचे का उन्नयन' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी द्वारा पूछे गए दिनांक 25.11.2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 19 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नये परिव्यय और व्यय* में बुनियादी ढांचे में शामिल वृद्धि (राशि लाखों में)									
		2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	नए आवंटन	व्यय में शामिल वृद्धि	नए आवंटन	व्यय में शामिल वृद्धि	नए आवंटन
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	0.00	155.75	389.69	285.00	483.77	106.07	400.08	206.68	579.90	339.82
2	आंध्र प्रदेश	8827.28	5644.05	6613.95	8149.95	13616.39	3297.74	8902.65	14241.81	9240.85	0.00
3	अरुणाचल प्रदेश	1372.18	185.10	3277.13	1673.38	236.01	3706.55	4313.51	8344.59	7141.75	10751.81
4	असम	15992.29	12160.58	10322.57	14189.67	6615.24	3976.06	24286.00	6226.12	44802.84	10430.65
5	बिहार	33175.71	12293.36	1410.08	12106.75	2011.06	1114.26	109717.70	16466.52	28218.18	407.45
6	छत्तीसगढ़	8402.17	742.03	860.96	13163.84	7055.90	8341.73	9752.60	6697.69	13820.73	6129.04
7	दादरा और नगर हवेली	504.88	244.16	431.32	0.00	10.88	0.00	168.24	0.00	0.00	0.00
8	दिल्ली	3022.50	379.74	3244.15	6181.24	403.00	0.00	354.12	0.00	739.00	0.00
9	गोवा	127.98	22.73	141.46	13.51	35.84	11.19	424.66	196.92	99.19	0.00
10	गुजरात	10069.98	10370.26	10411.78	11691.82	858.05	6532.96	16674.54	1453.37	6541.52	0.00
11	हरियाणा	5813.17	6236.71	796.03	1469.23	9278.46	2072.36	20084.98	7459.13	19796.74	1684.55
12	हिमाचल प्रदेश	775.05	1636.50	2984.90	798.94	3439.45	663.15	7673.54	934.57	7804.45	1926.68
13	जम्मू और कश्मीर	34825.28	3356.97	4244.47	11709.07	10361.38	3870.59	21906.76	29675.68	25515.18	12114.17
14	झारखण्ड	2499.84	7713.08	992.94	3743.38	2085.37	1720.45	13164.17	3045.14	7058.44	8.03
15	कर्नाटक	0.00	0.00	1006.11	0.00	279.65	3431.67	7111.07	0.00	2507.64	982.60
16	केरल	3178.75	2779.18	765.23	3221.09	903.20	1948.07	7558.39	1200.42	530.54	451.48
17	लद्दाख	659.66	0.00	2431.91	10.00	1138.93	0.00	1544.57	3662.21	1827.59	370.84
18	मध्य प्रदेश	42849.65	56061.02	2326.59	39365.66	1127.20	14824.01	24204.86	5970.00	23849.20	7055.53

नये परिव्यय और व्यय* में बुनियादी ढांचे में शामिल वृद्धि (राशि लाखों में)											
क्र सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-2020		2020-2021		2021-2022		2022-2023		2023-2024	
		नए आवंटन	व्यय में शामिल वृद्धि								
19	महाराष्ट्र	6001.49	8744.82	4419.64	4601.07	2112.78	457.26	52225.86	2620.93	6342.00	1354.23
20	मणिपुर	14311.61	6527.65	2466.16	7829.04	10928.89	7312.21	16842.24	11668.30	13127.80	6901.28
21	मेघालय	945.00	992.19	2393.70	2310.63	4751.66	3808.03	1170.26	4141.28	5752.40	928.65
22	मिजोरम	3476.29	468.63	2322.39	338.59	2798.92	729.75	7231.78	2718.45	7090.96	309.82
23	नागालैंड	152.00	930.58	414.70	370.51	3177.92	4102.68	2543.47	2757.96	9390.77	289.21
24	उड़ीसा	22775.58	16604.51	1766.79	9389.40	823.37	73.60	40211.14	39186.60	7338.95	4225.05
25	पुदुचेरी	155.28	7.91	0.00	118.22	65.80	15.71	151.15	0.00	0.00	118.15
26	ਪੰਜਾਬ	1936.93	8388.97	7618.92	15673.29	5762.84	3467.46	10562.06	8855.30	13176.10	10783.30
27	राजस्थान	22077.91	21403.46	9838.04	51536.63	18840.89	30411.91	70029.87	34777.24	42283.67	8448.29
28	सिक्किम	142.80	276.23	951.40	669.92	1188.41	507.91	1324.20	1814.07	2031.80	425.67
29	तमिलनाडु	16495.63	17779.94	28510.88	26655.02	3384.60	0.00	21872.55	9298.38	14746.80	6095.80
30	तेलंगाना	10789.54	6233.83	2927.68	6438.48	3200.62	1390.29	13814.01	8803.22	7025.00	1317.84
31	त्रिपुरा	7038.35	4627.97	6883.75	159.86	1830.03	9512.20	5288.08	7921.51	5970.22	1045.12
32	उत्तर प्रदेश	5057.09	6403.78	26284.77	23662.36	20425.05	9987.73	105321.46	35996.51	62414.66	37776.66
33	उत्तराखण्ड	7439.46	6087.52	6369.92	10915.44	9090.88	9120.50	10477.98	4011.59	9538.46	6455.56
34	पश्चिम बंगाल	24244.43	15035.31	10543.76	8935.05	20116.33	10768.40	22783.07	912.37	7422.10	5440.52
	<b>कुल</b>	<b>255768.30</b>	<b>210055.68</b>	<b>144350.35</b>	<b>260971.29</b>	<b>145476.30</b>	<b>135081.82</b>	<b>512471.68</b>	<b>235778.84</b>	<b>323741.91</b>	<b>122638.05</b>

\* व्यय में राज्य का अंश, प्रारंभिक शेष और अन्य प्रासियां शामिल हैं।